

63/25
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, पाली

क्रमांक:-जि.शि.अ/(मु.)/मा./सामान्य/खेलकूद/2025/....6.3.1..

दिनांक:-11.8.25

प्रेषित:-

समस्त संस्था प्रधान, राउमावि/राबाउमावि/महात्मा गांधी रा.वि.
राउमावि (अंग्रेजी माध्यम)/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय,
एवं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य समस्त विद्यालय
जिला पाली।

विषय:- 69 वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता वर्ष 2025-26 के खेलकूद शुल्क बाबत।

प्रसंग:-कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर का पत्रांक-शिविरा/माध्य/खेलकूद-3

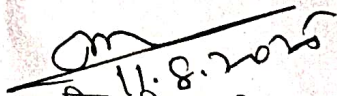
/35101/वार्षिक पंचांग/2025-26/दिनांक 09.07.2025

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में लेख है कि श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेशानुसार सत्र 2025-26 के लिए छात्र/छात्राओं की खेलकूद शुल्क सामान्य वर्ग 20/- रु. प्रति छात्र/छात्रा एवं आरक्षित वर्ग (ST, SC, OBC) 10/- रु. प्रति छात्र/छात्रा निर्धारित की गई है। समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय की कक्षा 6 से 12 तक के छात्र/छात्राओं का खेलकूद शुल्क दिनांक 16.08.2025 से 28.08.2025 तक अनिवार्य रूप से संलग्न युजर मेनुअल में दिए गये निर्देशानुसार ऑनलाईन भरवाये। खेलकूद शुल्क जमा करवाने पर ही प्रतियोगिता में प्रविष्टी दी जायेगी।

समस्त संस्था प्रधानों (प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने वाले विद्यालयों को भी) को खेलकूद शुल्क जमा करवाना आवश्यक है। खेलकूद शुल्क जमा नहीं करवाने पर जिला समान परीक्षा के प्रश्न-पत्र प्राप्त करना संभव नहीं होगा।

नोट:-प्रतियोगिता हेतु खिलाड़ीयों के योग्यता फार्म शाला दर्पण के द्वारा ऑनलाईन भरकर हार्ड कॉपी संस्थाप्रधान से प्रमाणित करवाकर दो फाईलों में प्रतियोगिता संयोजक स्थल पर एक दिवस पूर्व सांय 5 बजे तक आवश्यक रूप से जमा करवाना सुनिश्चित करावे।

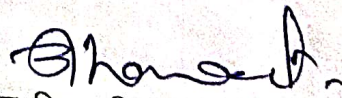
संलग्न :- जिला समान परीक्षा की साईट (paliexam.in) पर ऑनलाईन शुल्क जमा करवाने हेतु युजर मेनुअल (पेज-7)


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, पाली

दिनांक:-

क्रमांक:-जि.शि.अ/(मु.)/मा./सामान्य/खेलकूद/2025/.....
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान् उपनिदेशक(खेलकूद) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली मण्डल पाली।
3. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा पाली।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जिला-पाली
5. संयोजक एवं संस्थाप्रधान
6. समस्त संस्थाप्रधान
7. कार्यालय प्रति।


उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शिक्षा)
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, पाली